संख्या-01/2023/950/12-3099/88/2021/100(10)2014/टी0सी0-VII

प्रेषक,

शत्रुन्जय कुमार सिंह,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक

उ0प्र0,

लखनऊ।

कृषि अनुभाग-5 लखनऊःदिनांकः 04 जनवरी, 2023

विषयः- प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पी0एम0-कुसुम) की वित्तीय वर्ष 2022-23 की संशोधित कार्ययोजना की प्रशासकीय स्वीकृति के संबध में।

महोदय,

कृपया प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पी0एम0-कुसुम) की वित्तीय वर्ष 2022-23 की संशोधित कार्ययोजना की प्रशासकीय स्वीकृति के संदर्भ में अपने पत्रांक-सोलर/579/पी0एम0-कुसुम/2022-23, दिनांक 14 दिसम्बर, 2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- प्रश्नगत संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-34/2022/174/12-3099/88/2021/100(10)2014/टी0सी0-VII दिनाँक 28 अप्रैल, 2022 एवं शासनादेश संख्या-82/2022703/12-3099/88/2021/100(10)2014/टी0सी0-7 दिनाँक 02 नवम्बर, 2022 के निम्नलिखित बिन्दुओं में निम्नवत् संशोधन किये जाने की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

बिन्दु संख्या	शासनादेश दिनांक 28.04.2022 द्वारा स्वीकृत कार्ययोजना	कार्ययोजना में संशोधन
9(iii)	कृषकों का चयन ''पहले आओ-पहले पाओ'' के आधार पर किया जायेगा। सोलर पम्प हेतु बुकिंग जनपदवार एवं क्षमतावार आवंटित लक्ष्य के 200 प्रतिशत तक की जायेगी, परन्तु जनपदवार एवं क्षमतावार आवंटित लक्ष्य की सीमा तक ही टोकन कन्फर्म कर कृषक अंश जमा करने हेतु निर्गत किये जायेंगे।	कृषक का चयन टोकन प्रक्रिया के आधार पर ''पहले आओ-पहले पाओ'' के सिद्धान्त पर किया जायेगा। आवेदन के समय कृषक को रू0 5000.00 टोकन मनी के रूप में आनलाइन जमा करना होगा। सोलर पम्पों के लक्ष्य का 10 प्रतिशत अधिक आवेदन प्राप्त किये जायेंगे। परन्तु जनपदवार एवं क्षमतावार आवंटित लक्ष्य की सीमा तक ही टोकन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

		कन्फर्म कर अवशेष कृषक अंश जमा करने हेतु टोकन निर्गत किये जायेंगे। यदि कृषक द्वारा टोकन मनी जमा करने एवं टोकन कन्फर्म करने के पश्चात् कंपनी द्वारा सत्यापन के समय मौके पर उपयुक्त बोरिंग नहीं पायी जाती है तो आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा और टोकन मनी की धनराशि जब्त कर ली जायेगी। टोकन/आवेदन स्वीकृत करने के एक सप्ताह के अंदर कृषक द्वारा अवशेष कृषक अंश की धनराषि आन/आफलाइन जमा करनी होगी। समय पर अवशेष कृषक अंश की धनराषि जमा नहीं करने पर आवेदन स्वतः निरस्त हो जायेगा और टोकन मनी की धनराशि जब्त कर ली जायेगी। लक्ष्य अवशेष रहने की दशा में प्रतीक्षा सूची के कृषकों के टोकन कन्फर्म किये जायेंगे। लक्ष्य अवशेष न रहने पर सम्बन्धित कृषक को टोकन मनी की धनराशि वापस कर दी जाय। पोर्टल पर उपर्युक्त निर्देश सम्बन्धी व्यवस्था अविलम्ब सुनिश्चित कर दी जाय।
9vii)	कृषक अंश की धनराशि जमा होने के उपरान्त 10 दिन के अंदर सम्बन्धित उप कृषि निदेशक द्वारा जनपद में कार्यरत अवर अभियन्ता (उप कृषि निदेशक कार्यालय/भूमि संरक्षण अधिकारी कार्यालय, कृषि विभाग के अन्य कार्यालय) के मध्य उनके क्षेत्र के अनुसार लक्ष्यों का विभाजन करते हुए सम्बन्धित न्याय पंचायत के ग्रुप-सी की टीम बनाकर बोरिंग, जल स्तर आदि का सत्यापन कराया जायेगा। कृषकों का चयन एवं सत्यापन के समय यह देखा जायेगा कि 2 एच0पी0 के सोलर पम्प हेतु पंजीकृत किसान के पास 4 इंच, 3एच0पी0 एवं 5 एच0पी0 के लिए 6 इंच, 7.5 एवं 10 एच0पी0 सोलर पम्प के लिए 8 इंच की क्रियाशील बोरिंग तथा उपयुक्त जल स्तर होने पर ही कृषकों का चयन किया जायेगा। चयनित कृषक की बोरिंग का व्यास तथा जल स्तर आदि का सत्यापन करते हुए दिनाँक सहित सत्यापन रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड करेंगे।	क्रिटीकल एवं अतिदोहित विकासखण्डों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों के कृषकों की बोरिंग का सत्यापन उप कृषि निदेशक स्तर से कराने की आवश्यकता नहीं होगी और कृषक द्वारा कृषक अंश की धनराशि जमा करने के पश्चात् ऐसे कृषकों की सूची सीधे कंपनी के लागइन पर प्रदर्शित हो जाय एवं पूर्व व्यवस्था के अनुसार कंपनी द्वारा बोरिंग/जलस्तर का सत्यापन 7 दिन के अंदर करते हुए तदनुसार सोलर पम्प की स्थापना की कार्यवाही की जाय। क्रिटीकल एवं अतिदोहित क्षेत्रों के कृषकों की बोरिंग का सत्यापन पूर्व व्यवस्था के अनुसार उप कृषि निदेशक द्वारा 7 दिन के अंदर सुनिश्चित कराया जाय। पोर्टल पर उक्तानुसार व्यवस्था बना दी जाय। सत्यापन सम्बन्धी अन्य निर्देश पूर्व की भाँति यथावत रहेंगे।
11(viii)	सोलर पम्प की स्थापना की सूचना प्राप्त होने	सोलर पम्प की स्थापना की सूचना प्राप्त होने पर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

	पर स्थापित सोलर पम्पों का सत्यापन उप कृषि निदेशक अपने जनपद में कार्यरत श्रेणी-2 के अधिकारी एवं जनपद में श्रेणी-2 के अधिकारी उपलब्ध न होने की दशा में ही जनपद में स्थित कृषि विभाग के विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत वर्ग-1 के कर्मचारी को यथा आवश्यकतानुसार श्रेणी-2 के स्थान पर नामित करते हुए सत्यापन कार्य 15 दिवस के अन्दर पूर्ण करायेंगे। निर्धारित समय-सीमा में सत्यापन न कराने वाले अधिकारियों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी। फर्म द्वारा दिये गये हैण्डिंग ओवर सर्टिफिकेट पर सम्बन्धित फर्म, सम्बन्धित कृषक, श्रेणी-2 के अधिकारी एवं श्रेणी-2 के अधिकारी न होने की दशा में वर्ग-1 अथवा वर्ग-2 के कर्मचारी तथा जनपदीय उप कृषि निदेशक के हस्ताक्षर होने के उपरान्त सत्यापनकर्ता अधिकारी का नाम तथा सत्यापन का दिनाँक पोर्टल पर अपलोड करेंगे।	स्थापित सोलर पम्पों का सत्यापन उप कृषि निदेशक अपने जनपद में कार्यरत श्रेणी-2 के अधिकारी एवं जनपद में श्रेणी-2 के अधिकारी उपलब्ध न होने की दशा में ही जनपद में स्थिति कृषि विभाग के विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत वर्ग-1/वर्ग- 2/वर्ग-3 के कर्मचारी को यथा आवश्यकतानुसार श्रेणी-2 के स्थान पर नामित करते हुए सत्यापन कार्य 10 दिवस के अन्दर पूर्ण करायेंगे। निर्धारित समय-सीमा में सत्यापन न कराने वाले अधिकारियों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी। फर्म द्वारा दिये गये हैण्डिंग ओवर सर्टिफिकेट पर सम्बन्धित फर्म, सम्बन्धित कृषक, श्रेणी-2 के अधिकारी एवं श्रेणी-2 के अधिकारी न होने की दशा में वर्ग-1/ वर्ग-2/वर्ग-3 के कर्मचारी तथा जनपदीय उप कृषि निदेशक के हस्ताक्षर होने के उपरान्त सत्यापनकर्ता अधिकारी का नाम तथा सत्यापन का दिनाँक पोर्टल पर अपलोड करेंगे।
बिन्दु संख्या	**शासनादेश दिनाँक 02.11.2022 द्वारा स्वीकृत कार्ययोजना**	**कार्ययोजना में संशोधन**
11(ix)	सम्बन्धित फर्म द्वारा स्थापित सोलर पम्प के मूल्य का बिल केन्द्रांश, राज्यांश एवं कृषक अंश का विवरण बिल में अंकित करते हुए तीन प्रतियों में जनपदीय उप कृषि निदेशक को उपलब्ध कराया जायेगा। फर्म द्वारा बिल की एक प्रति पृथक से सम्बन्धित कृषक को भी उपलब्ध करायी जायेगी। सत्यापन के उपरान्त उप कृषि निदेशक द्वारा सत्यापित बिल (भुगतान की संस्तुति सहित) समस्त सम्बन्धित के हस्ताक्षर सहित हैंडिंग ओवर सर्टिफिकेट, स्थापित पम्प की कृषक के साथ फोटोग्राफ, जे0सी0आर0 तथा कृषक का फोटोयुक्त आई0डी0 की हार्ड कापी निदेशालय को उपलब्ध करायी जायेगी। पोर्टल पर सत्यापनकर्ता का नाम, पदनाम तथा सत्यापन का दिनाँक अंकित किया जायेगा। कृषक अंश, राज्यांश तथा केन्द्रांश का भुगतान भारत सरकार द्वारा एजेन्सी के साथ किये गये	सम्बन्धित फर्म द्वारा स्थापित सोलर पम्प के मूल्य का बिल केन्द्रांश, राज्यांश एवं कृषक अंश का विवरण बिल में अंकित करते हुए तीन प्रतियों में जनपदीय उप कृषि निदेशक को उपलब्ध कराया जायेगा। फर्म द्वारा बिल की एक प्रति पृथक से सम्बन्धित कृषक को भी उपलब्ध करायी जायेगी। सत्यापन के उपरान्त उप कृषि निदेशक द्वारा बिल, समस्त सम्बन्धित के हस्ताक्षर सहित हैंडिंग ओवर सर्टिफिकेट, स्थापित पम्प की कृषक के साथ फोटोग्राफ, जे0सी0आर0 तथा कृषक का फोटोयुक्त आई0डी0 की हार्ड कापी निदेशालय को उपलब्ध करायी जायेगी। पोर्टल पर सत्यापनकर्ता का नाम, पदनाम तथा सत्यापन का दिनाँक अंकित किया जायेगा। साथ ही निम्न प्रारूप पर सत्यापन आख्या भी उप कृषि निदेशक द्वारा पोर्टल अपलोड की जायेगी, जिसकी व्यवस्था पोर्टल पर बना दी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

	अनुबन्ध के आधार पर किया जायेगा। इस हेतु केन्द्रांश एवं राज्यांश की व्यवस्था करायी जायेगी।	**सत्यापन आख्या** कृषक का नाम ..... विभागीय पंजीकरण संख्या..... 1. सत्यापन के समय सोलर पम्प मौके पर स्थापित पाया गया 2. सोलर पम्प क्रियाशील स्थिति में पाया गया 3. सोलर पम्प स्थापित किया गया है किन्तु पैनल खोलकर रख लिया गया है हाँ/नहीं सोलर पम्प को सत्यापित कर भुगतान की संस्तुति की जाती है। नाम एवं हस्ताक्षर उप कृषि निदेशक .....जनपद..... योजनाधिकारी स्थापित पम्पों का उप कृषि निदेशक द्वारा आनलाइन सत्यापन प्राप्त होने पर कृषक अंश की धनराशि का भुगतान सम्बन्धित कंपनी/फर्म को किया जाय एवं राज्यांश तथा केन्द्रांश का भुगतान पूर्व व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा। बिलों पर उप कृषि निदेशक की भुगतान एवं सत्यापन आख्या की आवश्यकता नहीं होगी। अगर स्काडा पोर्टल पर स्थापित पम्पों का पूर्ण विवरण प्रदर्शित हो तो शत-प्रतिशत भुगतान टेन्डर की शर्तों के अनुसार कर दिया जायेगा।

कृपया उपर्युक्तानुसार संशोधित कार्ययोजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

शत्रुन्जय कुमार सिंह

विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-01 /2023/950(1)/12-3099/88/2021/100(10)2014/टी0सी0-VII, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।

2- कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।

3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

4- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नवीन एवं नवीनीकरण एवं ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

6- मुख्य स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

7- निदेशक, नवीन एंव नवीनीकरण एंव ऊर्जा मंत्रालय(एम0एन0आर0ई0), लोधी रोड, नई दिल्ली।

8- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

9- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

10- निदेशक, नेडा, गोमतीनगर, लखनऊ।

11- वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, लखनऊ।

12- अपर कृषि निदेशक (तिलहन/दलहन), कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

13- समस्त मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक/उप कृषि निदशक, उत्तर प्रदेश।

14- सहायक निदेशक (समन्वय एवं कम्प्यूटर), कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को पोर्टल पर व्यवस्था करने हेतु।

15- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

शत्रुन्जय कुमार सिंह
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।